

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08/2020

अपीलांट—

भगवानसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति
राजपूत निवासी रामसर तहसील
रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट्स —

1. तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश श्री तहसीलदार रामसर प्रकरण संख्या 38/2019
सरकार बनाम भगवानसिंह दिनांक 27.09.2019 में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री हाकमसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 38/2019 सरकार बनाम भगवानसिंह में आदेश दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा रामसर तहसील रामसर के खसरा नम्बर 237 किस्म गोचर रकबा 02 बिस्वा भूमि अवस्थित है, जिस पर अपीलांट का आवासीय मकान है जिसमें सहपरिवार निवास करते हैं। पटवारी हल्का रामसर द्वारा उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा बताकर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 38/2019 दर्ज कर दिनांक 27.09.2019 को पारित कर अपीलांट को परिसर से बेदखल करने व शास्ती आरोपित करने हेतु आदेश जारी किया जिसके खिलाफ अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।
3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।



4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट मूल निवासी रामसर का है, जिनके पूर्वजों के समय का एक परिसर 50 फीट गुणा 50 फीट का आया हुआ है जो परिसर जागीर पुनःग्रहण होकर पेमाईश विभाग द्वारा पेमाईश की तब खसरा नंबर 237 में शामिल हो गया तथा खसरा नंबर 237 गोचर दर्ज कर दिया परंतु अपीलांट के परिसर पर अपीलांट का कब्जा रहा है। अपीलांट को कभी भी राज्य सरकार प्रतिनिधि ने कभी भी कब्जा छोड़ने या बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट के पास अन्य कई लोगों के आवासीय मकान हैं जिसमें सहपरिवार निवास करते हैं, अपीलांट का इस परिसर में मकान बना हुआ है और परिवार सहित रहवास है। पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच के ध्यान में लाया कि खसरा नंबर 237 में काफी लोगों के आवासीय परिसर हैं और उन लोगों के रहवास हैं। तब पूर्व ग्राम पंचायत रामसर द्वारा एक सूची तैयार करवाकर और ग्राम पंचायत रामसर में दिनांक 20.02.2017 को प्रस्ताव पारित कर आबादी ग्राम पंचायत रामसर विस्तार हेतु खसरा नंबर 237 रकबा 04 बीघा आबादी में परिवर्तन हेतु मार्फत तहसीलदार रामसर के श्री जिला कलक्टर बाडमेर भिजवाया। अपीलांट का संवत् 2076 से पूर्व कब्जा है। संवत् 2076 में नया कब्जा नहीं किया गया परंतु हल्का पटवारी रामसर द्वारा अपीलांट का कब्जा 2076 खसरा नंबर 237 रकबा 02 बिस्वा पर कब्जा करना बताकर प्रकरण बनाकर न्यायालय तहसीलदार रामसर को पेश किया, जो अपीलांट के खिलाफ प्रकरण संख्या 39/2019 दर्ज किया गया और अपीलांट की तल्बी आदेश दिए, परंतु अपीलांट पर कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया और तामिल कुन्निदा की झूठी तामिल रिपोर्ट आबाद मकान पर चस्पा करना दिनांक मौतबीरों व बिना नकल प्रार्थना पत्र के तामिल मानकर निर्णय दिनांक 27.09.2019 को पारित कर अपीलांट को परिसर से बेदखल व शास्ती आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जो एकतरफा आदेश काबिल निरस्त करने योग्य है। हाल ही में करीब 10 रोज पूर्व निर्णय की आड में पटवारी हल्का रामसर कब्जा परिसर गिराकर लेने लगा और निर्णय का ज्ञान करवाया। तब अपीलांट की तरफ से निर्णय की प्रतिलिपि लेनी चाही, तो नकल देने से तहसीलदार रामसर ने मना कर दिया और बताया कि सूचना के अधिकार से नकल लो, जिस पर सूचना के अधिकार के तहत नकल ली जाकर अपील ज्ञान की तारीख से अंदर मयाद पेश है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अंतर्गत प्रकरण 38/2019 दिनांक 27.09.2019 निरस्त फरमाया जावें।



5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बहस में यह भी निवेदन किया है कि दिनांक 20.02.2017 को तत्कालीन ग्राम पंचायत रामसर सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत रामसर के खसरा नंबर 237 रकबा 817.12 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 4 बीघा भूमि आबादी भूमि में रूपांतरण किए जाने तथा क्षतिपूर्ति हेतु रामसर के खसरा नंबर 331 /20 रकबा 96 बीघा गैर मुमकिन पहाड़ में से 4 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अपीलांट का नाम भी दर्ज है। इस प्रस्ताव पर पटवारी हल्का रामसर द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस प्रस्ताव को उचित बताया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा उक्त प्रस्ताव को निर्धारित प्रफोर्मा में पत्रावली तैयार कर उपखण्ड अधिकारी रामसर को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन हेतु लिखा गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी रामसर ने जिला कलक्टर महोदय, बाडमेर को आवंटन प्रकरण को तहसीलदार रामसर की अनुशंषा पर भिजवाया गया। इसी भूमि पर अब तहसीलदार रामसर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया गया जो सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि दिनांक 20.02.2017 को तत्कालीन ग्राम पंचायत रामसर सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत रामसर के खसरा नंबर 237 रकबा 817.12 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 4 बीघा भूमि आबादी भूमि में रूपांतरण किए जाने तथा क्षतिपूर्ति हेतु रामसर के खसरा नंबर 331 /20 रकबा 96 बीघा गैर मुमकिन पहाड़ में से 4 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अपीलांट के साथ 25 लोगों के नाम दर्ज है। इस प्रस्ताव पर पटवारी हल्का रामसर द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस प्रस्ताव को उचित बताया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा उक्त प्रस्ताव को निर्धारित प्रफोर्मा में पत्रावली तैयार कर उपखण्ड अधिकारी रामसर को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन हेतु लिखा गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी रामसर ने जिला कलक्टर महोदय, बाडमेर को आवंटन प्रकरण को तहसीलदार रामसर की अनुशंषा पर भिजवाया गया। जब 25 लोगों के कब्जे को आबादी में परिवर्तित करे जाने की अनुशंषा की है, तो इसी भूमि पर अब पटवारी हल्का रामसर द्वारा उक्त भूमि पर अपीलांट का गैर मुमकिन गोचर पर कब्जा बताते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर को पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



की धारा 91 में अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जो कि विरोधाभाष पैदा करता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा पारित आदेश अंतर्गत प्रकरण 38/2019 फैसला दिनांक 27.09.2019 को अपास्त किया जाकर पुनः तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि पर बसे हुए सभी लोगों के संबंध में वास्तविक तथ्यों की जांच कर इस आबादी भूमि के प्रस्ताव की वस्तुस्थिति अभिलेख पर लेकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Kmp
(राजेन्द्र सिंह कलेक्टर बाड़मेर)
अपर जिल्हा (ए.डी.एम.)
कलेक्टर,
बाड़मेर